भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 251
दिनांक 21 जुलाई, 2026 / 30 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय साइबर अपराध डाटा

†251. श्री अनुराग शर्मा:

श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान ऑनलाइन घोटालों और साइबर शोषण सहित उक्त अवधि के दौरान दर्ज किए गए साइबर अपराध के मामलों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान साइबर धोखाधड़ी के कारण नागरिकों को हुए अनुमानित वित्तीय नुकसान, बरामद या फ्रीज की गई राशि और सुलझाई गई शिकायतों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा क्षमता निर्माण, विशेष साइबर पुलिस स्टेशनों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, जांच एजेंसियों के प्रशिक्षण और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच समन्वय के माध्यम से साइबर अपराध जांच को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने प्रभावी नीति निर्माण और कानून प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध डाटा की समयबद्धता और उपलब्धता की समीक्षा की है; और
(ङ) यदि हां, तो वास्तविक समय में रिपोर्ट करने और निगरानी में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2024 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से 2024 के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम/लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार और अपराध शीर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 251, दिनांक 21.07.2026

गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है।

वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक, 32.80 लाख से अधिक शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है। आई4सी द्वारा संचालित एनसीआरपी और सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, वर्ष 2021 से 2025 तक, 6589201 से अधिक वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें एनसीआरपी पर दर्ज की गईं, ₹ 55050 करोड़ से अधिक की राशि रिपोर्ट की गई है, ₹ 8189 करोड़ से अधिक की राशि लियन मार्क की गई है और 195760 से अधिक प्राथमिकियां (एफआईआर) दर्ज की गई हैं।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे की कार्रवाई यानी आरोप पत्र दाखिल करने, गिरफ्तारी और शिकायतों के समाधान से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं। तदनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र साइबर अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के माध्यम से, साइबर अपराध प्रबंधन और प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण संबंधी सहायता और वित्तीय संसाधन प्रदान करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 251, दिनांक 21.07.2026

केन्द्रीय सरकार ने साइबर अपराध जांच और केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 29,837 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 2,33,593 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

ii. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है।

iii. आई4सी के तहत मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय ढांचे को बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए बहु-न्यायिक मुद्दों वाले साइबर अपराध हॉटस्पॉट/क्षेत्रों के आधार पर पूरे देश को कवर करती हैं।

iv. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)" प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। दिनांक 30.06.2026 तक, इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 1,63,344 से अधिक पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 1,61,957 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

v. देश में साइबर सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए विशेष प्रशिक्षण से लैस साइबर कमांडो की एक विशेष शाखा स्थापित करने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर कमांडो कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक समर्पित, कुशल कार्यबल का सृजन करना है जो महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को सुरक्षित रखने तथा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रयासों को समर्थन देने में सक्षम हो। अब तक 281 साइबर कमांडो ने आईआईटी, आईआईआईटी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू), राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) गांधीनगर तथा नई दिल्ली आदि सहित प्रमुख संस्थानों में सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

vi. आई4सी, गृह मंत्रालय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, क्षमता निर्माण को बढ़ाने आदि के लिए नियमित रूप से 'स्टेट कनेक्ट', 'थाना कनेक्ट' और सहकर्मी शिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है।

vii. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली (दिनांक 18.02.2019 को) एवं असम (दिनांक 29.08.2025 को) में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय-डिजिटल जांच सहायता केंद्र' (जिसे पहले राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच) {एनसीएफअल (आई)} के नाम से जाना जाता था) स्थापित की गई है। दिनांक 30.06.2026 तक, साइबर अपराधों से संबंधित 14,064 से अधिक मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय-डिजिटल जांच सहायता केंद्र, नई दिल्ली ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

viii. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और साथ ही विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' स्कीम के तहत 132.93 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की है। 33 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं और 24,600 से अधिक एलईए कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच, फोरेंसिक आदि पर प्रशिक्षण दिया गया है ।

ix. वर्तमान में, साइबर अपराध के मामलों की जांच में सहायता के लिए देश भर में 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और 28 राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। राज्य एफएसएल

में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निर्भया फंड से वित्तपोषित स्कीम के तहत 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य एफएसएल में साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

x. परिचालन दक्षता को और मजबूत करने तथा साइबर अपराध की शिकायतों के निपटान में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने एनसीआरपी-सीएफसीएफआरएमएस के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी में एनसीआरपी के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर शिकायत पर कार्रवाई, बैंक के साथ समन्वय, शिकायत निवारण, लियन मार्किंग को हटाने और धोखाधड़ी से प्रभावित धन को सही दावेदारों को लौटाने करने के लिए एक मानकीकृत ढांचा निर्धारित किया गया है। पीड़ितों को धोखाधड़ी से प्रभावित धन को शीघ्र लौटाने के लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल और बैंक खातों को फ्रीज करने और लियन मार्किंग से संबंधित शिकायतों पर समय से कार्रवाई करने के लिए शिकायत निवारण मॉड्यूल अप्रैल, 2026 से कार्यात्मक बना दिया गया है।

अनुलग्नक-I

लोक सभा अता.प्र.सं. 251 दिनांक 21.07.2026

वर्ष 2020-2024 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार दर्ज किए गए मामले

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022	2023	2024
1	आंध्र प्रदेश	1899	1875	2341	2341	2528
2	अरुणाचल प्रदेश	30	47	14	24	78
3	असम	3530	4846	1733	909	408
4	बिहार	1512	1413	1621	4450	6380
5	छत्तीसगढ़	297	352	439	473	660
6	गोवा	40	36	90	86	77
7	गुजरात	1283	1536	1417	1995	1592
8	हरियाणा	656	622	681	751	1815
9	हिमाचल प्रदेश	98	70	77	127	148
10	झारखंड	1204	953	967	1079	1423
11	कर्नाटक	10741	8136	12556	21889	21993
12	केरल	426	626	773	3295	2962
13	मध्य प्रदेश	699	589	826	685	1081
14	महाराष्ट्र	5496	5562	8249	8103	9922
15	मणिपुर	79	67	18	3	5
16	मेघालय	142	107	75	64	97
17	मिजोरम	13	30	1	31	50
18	नागालैंड	8	8	4	2	14
19	ओडिशा	1931	2037	1983	2348	2501
20	पंजाब	378	551	697	511	888
21	राजस्थान	1354	1504	1833	2435	1527
22	सिक्किम	0	0	26	12	15
23	तमिलनाडु	782	1076	2082	4121	5793
24	तेलंगाना	5024	10303	15297	18236	27230
25	त्रिपुरा	34	24	30	36	33
26	उत्तर प्रदेश	11097	8829	10117	10794	11073
27	उत्तराखण्ड	243	718	559	494	543
28	पश्चिम बंगाल	712	513	401	309	282
	कुल राज्य	**49708**	**52430**	**64907**	**85603**	**101118**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	8	28	47	28
30	चंडीगढ़	17	15	27	23	116
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	5	5	6	5
32	दिल्ली	168	356	685	407	404
33	जम्मू और कश्मीर	120	154	173	185	114
34	लद्दाख	1	5	3	1	1
35	लक्षद्वीप	3	1	1	1	0
36	पुडुचेरी	10	0	64	147	142
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**327**	**544**	**986**	**817**	**810**
	कुल (अखिल भारत)	**50035**	**52974**	**65893**	**86420**	**101928**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

अनुलग्नक-II

राज्य सभा अता.प्र.सं. 251 दिनांक 21.07.2026

वर्ष 2020-2024 के दौरान साइबर अपराधों के तहत अपराध शीर्ष-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	2020	2021	2022	2023	2024
1	कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना	338	55	65	71	162
2	कंप्यूटर से संबंधित अपराध	21926	19915	23894	35329	36920
3	साइबर आतंकवाद	26	15	12	11	18
4	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्य का प्रकाशन/प्रसारण	6308	6598	6896	7893	6990
5	सूचना का अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन	7	2	1	1	4
6	सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुँच/पहुंचने का प्रयास	2	3	1	1	2
7	निजता और गोपनीयता का उल्लंघन	-	-	-	-	37
8	धोखाधड़ी के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का प्रकाशन	-	-	-	-	5
9	अपराध करने के लिए उकसाना	1	7	4	0	2
10	अपराध करने का प्रयास	18	5	18	11	14
11	आईटी अधिनियम की अन्य धाराएं	1017	827	1017	920	718
क	**सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कुल अपराध**	**29643**	**27427**	**31908**	**44237**	**44872**
12	आत्महत्या के लिए उकसाना (ऑनलाइन)	10	10	24	30	12
13	साइबर स्टॉकिंग / महिलाओं / बच्चों की बुलिंग	872	1176	1471	1305	1240
14	छलपूर्ण साधनों द्वारा यौन संबंध	-	-	-	-	99
15	संगठित साइबर अपराध	-	-	-	-	60
16	भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना	-	-	-	-	2
17	डेटा चोरी	98	170	97	113	88
18	धोखाधड़ी	10395	14007	17470	19466	29758
19	बेईमानी करना	4480	6343	10509	16943	19296
20	जालसाजी	582	198	224	444	702
21	डिफेमेशन/मॉर्फिंग	51	31	61	36	28
22	नकली प्रोफाइल	149	123	157	225	266
23	कॉउंटरफीटिंग	9	2	2	0	3
24	साइबर ब्लैकमेलिंग/थ्रेटनिंग	303	689	696	689	601
25	सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार	578	179	230	209	483
26	अन्य अपराध	2674	2456	2857	2389	4109
ख	**आईपीसी/ बीएनएस के तहत कुल अपराध**	**20201**	**25384**	**33798**	**41849**	**56747**
27	जुआ अधिनियम (ऑनलाइन जुआ)	63	27	37	87	37
28	लॉटरी अधिनियम (ऑनलाइन लॉटरी)	26	4	6	0	0
29	कॉपी राइट एक्ट	49	32	27	23	30
30	ट्रेड मार्क एक्ट	5	1	14	1	6
31	अन्य एसएलएल अपराध	48	99	103	223	236
ग	**एसएलएल के तहत कुल अपराध**	**191**	**163**	**187**	**334**	**309**
	कुल साइबर अपराध (क + ख + ग)	**50035**	**52974**	**65893**	**86420**	**101928**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।